

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथि/परिषद/सम्बद्धता/2019/1132

तारखतः दिनांक: 19-5-2019

-कार्यालय ज्ञाप-

अधिकांश भारतीय राज्यों की शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2018-20 हेतु किलोमीटर लंबी व लंबी की विद्युत संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अलावा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में सत्र 2018-20 हेतु आयोजित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/संवर्द्धन/प्रवेश समारंभ वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2018-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त की अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को मद्र-3 में स्थित है। इन कमीसी सहायक सचिव द्वारा सत्र 2018-20 हेतु सत्र का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सत्र विचार-विमर्श का विस्तार निर्णय लिया गया -

"एडवाइसीबोर्डों द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध विधोना फार्मशी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2018-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को विधोना इन फार्मशी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2018-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीसीआईओ अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही की जाएगी।"

उक्त निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा दिए गये निर्णय के अलावा पत्र प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2018-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत सहायक एवं प्रथम अंकित प्रवेश कक्षा हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का पता	सहायक या प्रथम	एडवाइसीबोर्डों/पीसीआईओ द्वारा सत्र 2018-20 अनुमोदित संस्था	परिषद द्वारा सत्र 2018-20 अनुमोदित कक्षा
1.	2224	सीतापुर शिक्षा प्रखण्ड (सदर) की अंतर्गत सत्र (विद्युत) विधोना सीतापुर	विद्योना इन फार्मशी	अ	अ

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था एडवाइसीबोर्डों द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा लखनऊ तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विद्योना लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु सत्र 2018-20 हेतु सत्र का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सत्र विचार-विमर्श का विस्तार निर्णय लिया गया -

कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीठा निर्वाचन समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु पीठा का पुनर्निर्वाचन किया जाता है तो पीठा की नवीनतम सूची तैयार होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा समिति/पीठा तथा एच.ए. समिति/पीठा संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियम-धारा-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कार्य को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों की किलत स जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन की निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत छात्रसंवेदन के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को एआईआईटीआई से आरम्भ की गई हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बन्दे गये विधि/निर्णय/प्रतिनिर्णय/आदेश/निर्देश/निर्देश एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च द्वारा बन्दे गये निर्णय, विनियम, आदेश, निर्देश का पालन करने के लिये बध्य होगी।
- ✓ विद्यमान इन फार्मों पर उपरोक्त की संस्थाएं यदि सी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और अधिक तब से किसी भी परीक्षाओं के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बन्द बाधर किया जाता है तथा बाधर बन्द की संस्था ने न. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यमान इन फार्मों पर उपरोक्त संयोजित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश देने के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु काल्पनिक प्रवेश होने के पूर्व एआईआईटीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यवाही के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेश/निर्देश का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पुस्तिका, स्तम्भ, साल-संख्या, उपाचारण, प्राप्त किया जाने वाला सुनिश्चित, प्रासंगिक सुनिश्चित आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को निरीक्षण-परिषद हेतु उपरोक्त आचारण उपलब्ध कराने के साथ रैपिड रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित ही से कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराने गये प्रतिवेदन, सुनिश्चित, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य आचारण के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता सुनिश्चित करने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विनियमनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सजीव कुमार सिंह)
सचिव

पुसं- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1133-2252

तार दिनांक- 15-5-2019

प्रतिनिधि-प्रधानाचार्य/निदेशक, सीतापुर शिक्षा सत्थान, (स्कूल ऑफ फार्मोसी एण्ड रिसर्च), देसपुरा, सीतापुर

(सजीव कुमार सिंह)
सचिव

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या— प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/1871

लखनऊ दिनांक: 15-8-2020

—कार्यालय ज्ञाप—

अखिल भारतीय लखनऊ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पार्षदी कार्यालय और इन्फिया नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु वित्तीय लक्ष्य लखनऊ शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिती द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूरु से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पार्षदकर्म/प्रवेश क्षमता वृद्धि अहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के तद-3 में विस्तार इन पार्षदी पार्षदकर्म संबंधित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर विस्तार निर्णय लिया गया -

निम्नी श्रेण में स्थापित विधोमा इन पार्षदी पार्षदकर्म संबंधित करने वाली संस्थाएँ, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठरी/आईडा द्वारा नई संस्थाएँ अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठरी/आईडा द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुसार बनरी नाम के समुक्त अधिकार पार्षदकर्म/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वस्मति से पीठरी/आईडा द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार को अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को लागू सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय को अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पार्षदकर्म एवं प्रवेश अधिकार प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	पार्षदकर्म का नाम	पीठरी/आईडा द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीठरी/आईडा/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	पीठरी शिक्षा संस्था (पूरु और कार्ती एच विद्या, काशी, पीठरी)	विस्तार इन पार्षदी	७०	७०

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडवाइजरी/पीठरी/आईडा द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उसका प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एचए 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमों की 1982, संसदीय विनियमों-2016 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्फिया पार्षदकर्म हेतु रु० 25,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय पार्षदी पार्षदकर्म हेतु रु० 40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की पार्षदी पार्षदकर्म (दो वर्षीय पार्षदी पार्षदकर्म के अतिरिक्त) हेतु रु० 25,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश प्राप्त/प्राप्त से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त को अतिरिक्त प्राप्त/प्राप्तों में शुल्क को सम्बन्ध में समता-समय पर सातवां द्वारा निर्धारित किये जाने वाले सातवां के अन्तर्गत आने वाली होगी, और उपरोक्त संस्थाओं को

(Handwritten Signature)

जाया जासकत छी। जीस निर्देशन समिति द्वारा की गेल 2020-21 हेतु जीस का पुनर्निर्माण किये जका है, तो जीस को स्थानान्तरित करे लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त) प्रारम्भिक शिक्षा कार्यवाही तथा उप-कार्यवाही, संस्थाओं को सम्बद्ध किये जाने पर विनियमनकारी-2020 को शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कार्यवाही को ही प्रवेश किया जाएगा। शीघ्र ही रिक्त हो जाने की स्थिति में प्रवेश प्रवेश समिति को निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को प्रवेश-समय पर निर्गत कार्यवाही के अनुसूचित विधिवत एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त) विनियमनकारी-2020 से वापसी प्राप्त हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश समिति द्वारा जारी गरीब विधि/विधवा/अविधिवत/साक्षरता/विधवा एवं विधवा, प्रारम्भिक शिक्षा, उपरोक्त अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद, उपरोक्त तथा प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, उपरोक्त द्वारा जारी गरीब विधि, विनियमन, कार्यवाही का पालन करने के लिए सम्बद्ध होगी।
- ✓ विनियमन इन शर्तों का अनुपालन को संस्थाएं यदि विनियमनकारी-2020 से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस संस्था में प्रवेश प्रवेश/प्रारम्भिक संस्था का होगा और विधिवत रूप से विधवा की कार्यवाही को लिए संस्था अपने कार्यवाही होगी। प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रारम्भिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश समिति को कोई उप-कार्यवाही किया जाता है उप-कार्यवाही के संबंध में वह पालन द्वारा विधवा प्रवेश को प्रारम्भिक शर्तों का पालन किया जाता है तो प्रवेश प्रारम्भिक शर्तों का पालन करनी होगी।
- ✓ विनियमन इन शर्तों का अनुपालन संस्थाओं को संस्थाओं को अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रवेश प्रवेश समिति द्वारा प्रारम्भिक शर्तों को लिए प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यवाही प्राप्त होने के पूर्व विनियमनकारी-2020 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को पालन करनी होगी। संस्थाओं को प्रवेश की कार्यवाही के सम्बन्ध में संस्था संस्था स्तर पर शीघ्र कार्यवाही अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ प्रवेश प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत कार्यवाही प्रारम्भिक शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की प्रवेश सूचनाओं को संस्था की प्रारम्भिक पुस्तिका, प्रवेश-समिति, प्रारम्भिक, प्रवेश किये जाने वाला सुनिश्चित, प्रारम्भिक सुनिश्चित का विवरण प्रारम्भिक प्रारम्भिक होगा।
- ✓ संस्था को प्रवेश-समिति हेतु प्रारम्भिक प्रारम्भिक प्रारम्भिक करने के साथ प्रवेश करने की सम्बन्ध में प्रवेश प्रारम्भिक प्रारम्भिक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो के कि संस्था में प्रारम्भिक/प्रारम्भिक प्रारम्भिक को प्रारम्भिक हेतु निर्देशन समिति के प्रवेश प्रारम्भिक करनी गरीब प्रारम्भिक, प्रवेश-समिति, प्रारम्भिक प्रारम्भिक द्वारा ही करि प्रवेश द्वारा विधवा अन्य प्रारम्भिक को प्रारम्भिक में प्रारम्भिक किया जाता है और प्रारम्भिक को प्रारम्भिक प्रारम्भिक होगी है कि प्रवेश प्रारम्भिक का प्रवेश विधवा प्रवेश करनी के लिए करनी है तो प्रारम्भिक संस्था की सम्बद्धता प्रारम्भिक किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ प्रारम्भिक करनी का अनुमोदन व किये जाने प्रारम्भिक करनी का प्रारम्भिक किये जाने की स्थिति में विनियमनकारी-2020 से अनुमोदन कार्यवाही की जायेगी।

(स) अरविन्द सिंह
सचिव

सूचना- प्रवेश/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1872-2141

तार दिनांक 15-06-2020

व्यक्ति-प्रधानाचार्य/निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा संस्था (अनुसूचित शीघ्र शर्तों एवं निर्देश) प्रारम्भिक, सीतापुर।

(स) अरविन्द सिंह
सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2236-SITAPUR SHIKSHA SANSTHAN (SCHOOL OF PHARMACY & RESEARCH), RASYORA, SITAPUR			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/ छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

- ✔ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✔ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✔ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✔ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✔ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✔ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✔ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✔ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SITAPUR SHIKSHA SANSTHAN (SCHOOL OF PHARMACY & RESEARCH), RASYORA, SITAPUR



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव